भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1986

जिसका उत्तर मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एलआईसी कर्मचारियों का कार्यभार

1986. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अंतर्गत अलग-अलग कर्मचारियों और शाखाओं के कार्यभार का आकलन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) एलआईसी में सतर्कता प्रणाली को सुदृढ़ करने और किसी प्रकार की हेराफेरी को रोकने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या एलआईसी के नीतिगत दस्तावेजों में यह उल्लेखित है कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 37 के अनुसार एलआईसी द्वारा जारी की गई प्रत्येक पॉलिसी पर सरकार की संप्रभु गारंटी दी जाती है;

(घ) अनुत्पादक खर्चों को कम करने के लिए एलआईसी ने क्या कार्रवाई की है और क्या शीर्ष प्रबंधन स्तर पर खर्चों की निगरानी की जा रही है; और

(ङ) एलआईसी ने अपने सभी पॉलिसीधारकों के लिए बोनस बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एलआईसी एक बोर्ड अभिशासित वाणिज्यिक संस्था है जो प्रतिस्पर्धी और विनियमित वातावरण में काम कर रही है और इसमें सभी कर्मचारियों के लिए एक सुदृढ़ कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली है। इसके अलावा, एलआईसी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के आरंभ में निर्धारित मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से किया जाता है और वर्ष में दो बार इसकी समीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर एलआईसी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(ख): एलआईसी किसी भी संभावित धोखेबाज़ी को रोकने के लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करता है। एलआईसी द्वारा *अन्य बातों* के साथ-साथ औचक जांच, लेखा परीक्षा, निरीक्षण, अचल/चल आस्तियों संबंधी विवरणियों की जांच, सामग्रियों और सेवा संविदाओं की खरीद की समीक्षा आदि की जाती है। निवारक सतर्कता समिति और धोखाधड़ी निगरानी समिति जैसी समितियां पहले से ही मौजूद हैं।

(ग): एलआईसी जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, बीमा अधिनियम, 1938, इरडाई (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के तहत अभिशासित है। एलआईसी का पॉलिसी दस्तावेज बीमाकर्ता और पॉलिसीधारक के बीच पॉलिसी की पूरी अवधि /शर्त का एक करार है। तथापि, सभी पालिसियों द्वारा बीमित राशि, जिसमें उनके संबंध में घोषित बोनस भी शामिल है, जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 37 में दर्शाए गए अनुसार सरकार की संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित है।

(घ): बजट समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है और प्रबंधन के व्यय (ईओएम) की इरडाई ईओएम विनियमों के अनुसार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, एलआईसी ने खर्चों को कम करने के लिए सौर पैनलों, एलईडी, सेंसर द्वारा परिचालित स्विच लगाने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकांश बैठकों और प्रशिक्षणों का आयोजन करने जैसे उपाय किए हैं।

(ङ): देय बोनस मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार वार्षिक बीमांकिक जांच के परिणामस्वरूप सृजित अधिशेष पर निर्भर करता है। एलआईसी रिस्क रिवार्ड बैलेंस सुनिश्चित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों में निवेश सुनिश्चित करके इष्टतम प्रतिलाभ सृजित करने का प्रयास करता है, जिसकी समीक्षा एलआईसी की निवेश समिति द्वारा भी की जाती है।

******